न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–188/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

श्री कृष्ण कुमार आदि

–बनाम–

श्री ओमप्रकाश पैन्यूली आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्तागण प्रतिपक्षी : श्री नीरज गुप्ता।

बावत

मौजा मोथरोवाला, परगना पछवादून
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, मसूरी कैम्प–देहरादून द्वारा वाद संख्या–34 वर्ष 2013–14 अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 16–06–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

प्रतिउत्तरदातागण ओम प्रकाश पैन्यूली व श्री सुन्दरलाल ने वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने अधिकारों/स्वत्व की घोषणा हेतु वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एंवं भूमि व्यवस्था अधिनियम परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16–01–2009 से निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, मसूरी के न्यायालय में स्थानान्तरित हुआ। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के न्यायालय में विचाराधीन वाद की कार्यवाही के दौरान वादीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 05–06–2013 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वाद में निगरानीकर्तागणों को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। इस वाद में निगरानीकर्तागणों ने दिनांक 14–07–2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 16–06–21015 से निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि वादग्रस्त भूमि खातेदारों द्वारा संयुक्त रूप से विक्रय की गई थी जिसके आधार पर निगरानीकर्तागणों का

नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में धारा–229बी का जो वाद प्रस्तुत किया गया वह इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि जो भूमि विक्रय की गई वह केवल दयाराम ने विक्रय की थी। वादीगण के पिता फगणेश्वर ने विक्रय नहीं की थी उन्होंने केवल अपनी सहमति प्रकट की थी तथा उक्त भूमि में दयाराम पुत्र विद्यात्त का कोई हिस्सा नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद सहखातेदारों के बीच में चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्तागणों ने आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र भी इसी आधार पर प्रस्तुत किया गया कि सहखातेदारों के मध्य धारा–229बी का वाद चलने योग्य नहीं है और निरस्त होने योग्य है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान न देकर अपने आदेश दिनांक 16–06–2015 से निगरानीकर्तागणों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। निगरानी स्वीकार होने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदातागणों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी के कोई आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्तागणों ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया था उसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण रूप से परिशीलन कर विधिसम्मत तरीके से आदेश पारित कर निरस्त किया है। विपक्षीगण द्वारा अपने विधिक अधिकारों की उद्घोषणा हेतु जो वाद दायर किया गया है उसे प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्रतिउत्तरदातागण/वादीगणों को प्राप्त है। निगरानीकर्तागणों की निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने 2007 यू0ए0डी0 439 मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं आर0डी0 1981 पृष्ठ 122 मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदातागण ने वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की उद्घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया। निगरांनीकर्तागणों ने वाद की पोषणीयता के सम्बन्ध में दिनांक 14–07–2014 को आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी ने आदेश दिनांक 16–06–2015 से निरस्त कर दिया। मैंने विद्वान सहायक कलेक्टर के प्रश्नगत आक्षेपित आदेश दिनांक 16–06–2015 का भली–भाँति अवलोकन किया। इस आदेश के प्रथमदृष्टया अवलोकन से ही यह परिलक्षित होता है कि निगरानीकर्तागणों ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 प्रस्तुत किया था उसे सरसरी तौर पर आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर अपनी कोई स्पष्ट विवेचना अथवा निष्कर्ष नहीं दिया है और प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत विवेचना एवं तर्कों के साथ प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करना चाहिए था जिसका पालन नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि वे प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र पर विधि में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के तहत अपना सुस्पष्ट मत/निष्कर्ष देते हुए प्रार्थना पत्र का गुणदोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारण करें।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–06–2015 निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्तागणों के प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 दिनांक 14–07–2014 पर उभयपक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र पर विधि में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के तहत अपना सुस्पष्ट मत/निष्कर्ष देते हुए प्रार्थना पत्र का गुणदोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारण करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 22-03-16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।